न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, आई. ए. एस.

वाद संख्या 113/2018

आरसीएमएस आई डी : 2018/00418

1. भजनलाल पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर।

—:वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर व जिला श्री गगांनगर।
2. राजाराम पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर व जिला श्री गगांनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188—53—209 राज. काश्त. अधि.

उपस्थिति :—

श्री मोहनलाल बाना, अधिवक्ता वादी

श्री संतकुमार बिश्नोई, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1

श्री अजीत सुथार, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

—: निर्णय :—

दिनांक:—26.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.10.2018 के द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को संयुक्त खाते की भूमि चक 45 पी.एस. के मु.नं. 18 के .253है, 31 के 2.353है, चक 39 एनपी के मु.नं. 24 के .759है, ठाकरी ए के मु.नं. 163 के 6.074है0 भूमि का किलेवाईज अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब भूमि का विभाजन पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के नकल जमाबंदी के साथ भिजवाने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक/राजस्व/19/587 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी के आधार पर न्यायालय की अनुमति से दिनांक 04.01.2023 को प्रकरण में सशोधित वाद पत्र पेश हुआ, जो रिकार्ड पर लिया गया। वाद पत्र में संशोधन हो जाने के कारण तहसीलदार रायसिंहनगर से पुनः वर्तमान रिकार्ड की स्थिति अनुसार पक्षकारान में मध्य विवादित भूमि का खाता विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./23/7 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा प्रकरण में खाता विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका हैं।

वकील पक्षकारान की वाद पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील उभयपक्ष प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किया जाकर वाद पत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। रिपोर्ट में पक्षकारान द्वारा खाता विभाजन पर सहमति [illegible] है तथा पक्षकारान के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण [illegible] पक्षकारान के मध्य सहमति है और सहमति अनुसार ही खाता विभाजन [illegible] चाहते हैं, वाद [illegible] स्वीकार किया जाना उचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:29 IST
Reason: Self Attested

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वाद [illegible] स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि —

1. तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./23/7 दिनांक 12.06.2023 द्वारा प्रेषित खाता विभाजन प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त खाता की विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता हैं :—

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

क्र. सं.	नाम खातेदार / पक्षकार	खाता विभाजन में प्राप्त भूमि का विवरण
1	भजनलाल पुत्र मनफूलराम(वादी)	चक ठाकरी ए प.नं. 213/316 मु.नं. 163 कि.नं. 6/0.153, 7/0.171, 8/0.170, 9/0.171, 10/0.170, 11 ता 14/1.012, 15/0.228, 16/0.038, 17/0.041, 18/0.041, 19/0.041, 20/0.041 कुल 2.277 है. बारानी
		चक 45 पीएस प.नं. 217/302 मु.नं. 18 के कि.नं. 25/0.253, एवं प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 5–6 /0.506, 15/0.160 कुल 0.919है. नहरी मय खाला
		चक 39 एनपी प.नं. 214/319 मु.नं. 24 के कि.नं. 22/0.221, 23/0.063 कुल 0.284है. नहरी
		इस प्रकार तीनों चकों की कुल 3.480 नहरी/बारानी मय खाला भूमि
2	भागीरथ पुत्र मनफूलराम(प्रति.सं. 1)	चक ठाकरी ए प.नं. 213/316, मु.नं. 163 कि.नं. 1 ता 4/0.912, 5/0.202, 6/0.075, 7/0.082, 8/0.083, 9/0.082, 10/0.083 कुल 1.519है. बारानी
		चक 45 पीएस प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 15/0.088, 16/0.241, 25/0.224 कुल 0.553 है. नहरी मय खाला
		चक 39 एनपी प.नं. 214/319 मु.नं. 24 के कि.नं. 23/0.190 कुल 0.190है. नहरी
		इस प्रकार तीनों चकों की कुल 2.262 नहरी/बारानी मय खाला भूमि
3	राजाराम पुत्र मनफूलराम(प्रति.सं. 2)	चक ठाकरी ए प.नं. 213/316 मु.नं. 163 कि.नं. 16/0.190, 17/0.212, 18/0.212, 19/0.212, 20/0.212, 21 ता 24/1.012, 25/0.228 कुल 2.278 है. बारानी
		चक 45 पीएस प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 7/1/0.076, 14–17/0.506, 24/2/0.235 कुल 0.817है. नहरी
		चक 39 एनपी प.नं. 214/319 मु.नं. 24 के कि.नं. 20/0.012, 21/0.241, 22/0.032 कुल 0.285है. नहरी
		इस प्रकार तीनों चकों की कुल 3.380 नहरी/बारानी भूमि
4	गै.मु. रास्ता	**चक 45 पीएस प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 15/0.005, 16/0.012, 25/0.011 कुल 0.028है.**

तहसीलदार रायसिंहनगर उपरोक्त खाता विभाजन अनुसार पक्षकारान के नाम से पृथक पृथक खाता में खातेदारी भूमि दर्ज करें तथा सहमति अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करें। भूमि की किस्म/प्रकृति(नहरी/बारानी/गै.मु.) परिवर्तित नहीं की जावे। बैंक के रहन आदि का अंकन यथावत रहेगा।

2. उभयपक्ष को इस आशय की ... जाता हैं कि वे खाता विभाजन से प्राप्त एक–दूसरे की खातेदारी ... अंदाजी करने से वर्जित रहे।

तदनुसार पर्चा... जारी हो।

निर्णय दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा ... न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्यांक–1C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास : जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर आई.ए.एस.

वाद संख्या 113/2018
आरसीएमएस आई डी : 2018/00418
1. भजनलाल पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगगांनगर।

–:वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर व जिला श्री गगांनगर।
2. राजाराम पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर व जिला श्री गगांनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188–53–209 राज. कांश्त. अधि.

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.06.2023

वाद के आज श्री मोहनलाल बाना, अधिवक्ता वादी एवं श्री सन्त कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, श्री अजीत सुथार अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की उपस्थिति में अंतिम निस्तारण हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि –

1. तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./23/7 दिनांक 12.06.2023 द्वारा प्रेषित खाता विभाजन प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त खाता की विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदार/पक्षकार	खाता विभाजन में प्राप्त भूमि का विवरण
1	भजनलाल पुत्र मनफूलराम(वादी)	चक ठाकरी ए प.नं. 213/316 मु.नं. 163 कि.नं. 6/0.153, 7/0.171, 8/0.170, 9/0.171, 10/0.170, 11 ता 14/1.012, 15/0.228, 16/0.038, 17/0.041, 18/0.041, 19/0.041, 20/0.041 कुल 2.277 है. बारानी
		चक 45 पीएस प.नं. 217/302 मु.नं. 18 के कि.नं. 25/0.253, एवं प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 5–6 /0.506, 15/0.160 कुल 0.919है. नहरी मय खाला
		चक 39 [illegible] /319 मु.नं. 24 के कि.नं. 20/0.221 [illegible] कुल 0.284है. नहरी
		इस प्रकार [illegible] चकों की कुल 3.480 नहरी/बारानी मय खाला भूमि
2	भागीरथ पुत्र मनफूलराम(प्रति.सं. 1)	चक ठाकरी ए प.नं. 213/316 मु.नं. 163 कि.नं. 1 ता 4/0.912, 5/0.202, 6/0.075, 7/0.082, 8/0.083, 9/0.082, 10/0.083 कुल 1.519है. बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested

		चक 45 पीएस प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 15/0.088, 16/0.241, 25/0.224 कुल 0.553 है. नहरी मय खाला
		चक 39 एनपी प.नं. 214/319 मु.नं. 24 के कि.नं. 23/0.190 कुल 0.190है. नहरी
		इस प्रकार तीनों चकों की कुल 2.262 नहरी/बारानी मय खाला भूमि
3	राजाराम पुत्र मनफूलराम(प्रति.सं. 2)	चक ठाकरी ए प.नं. 213/316 मु.नं. 163 कि.नं. 16/0.190, 17/0.212, 18/0.212, 19/0.212, 20/0.212, 21 ता 24/1.012, 25/0.228 कुल 2.278 है. बारानी
		चक 45 पीएस प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 7/1/0.076, 14–17/0.506, 24/2/0.235 कुल 0.817है. नहरी
		चक 39 एनपी प.नं. 214/319 मु.नं. 24 के कि.नं. 20/0.012, 21/0.241, 22/0.032 कुल 0.285है. नहरी
		इस प्रकार तीनों चकों की कुल 3.380 नहरी/बारानी भूमि
4	गै.मु. रास्ता	**चक 45 पीएस प.नं. 217/303 मु.नं. 31 कि.नं. 15/0.005, 16/0.012, 25/0.011 कुल 0.028है.**

तहसीलदार रायसिंहनगर उपरोक्त खाता विभाजन अनुसार पक्षकारान के नाम से पृथक पृथक खाता में खातेदारी भूमि दर्ज करें तथा सहमति अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करें। भूमि की किस्म/प्रकृति(नहरी/बारानी/गै.मु.) परिवर्तित नहीं की जावे। बैंक के रहन आदि का अंकन यथावत रहेगा।

2. उभयपक्ष को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता हैं कि वे खाता विभाजन से प्राप्त एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में दखल अंदाजी करने से वर्जित रहे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.07.05 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	[illegible]	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	3. प्लीडर की फीस	—
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	—	4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—	5. आदेशिका की तामील	—
6. कमिश्नर की फीस	—	6. कमिश्नर की फीस	—
7. आदेशिका की तामील	—		—
जोड़	104	जोड़	—